कृषि अनुसंधान उप केंद्र ,समदडी, (बाड़मेर)
(कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर)
समदडी , जिला – बाड़मेर, राजस्थान - 344 021

क्रमांक ( ) प.एफ/ फार्म स्टोर/ कृ.अ.उ.के/ समदड़ी /2023-24/106-115 and 116-124, दिनांक – 24.05.2023

<u>खुली निविदा आमंत्रण सूचना</u>

कृषि अनुसंधान उप केंद्र, समदडी (बाड़मेर) के फार्म पर हिस्साधारित बीजोत्पादन फसलो की खेती हेतु जिसका विवरण UBN: JAU2324WSOB00057 एवं कृषि कार्यो हेतु अनुबंध पर श्रमिक उपलब्ध कराने हेतु जिसका विवरण UBN: JAU2324SSOB00058 से अलग अलग बंद लिफाफे में मोहरबन्द निविदाए आमंत्रित की जाती हैं| विस्तृत विवरण राजस्थान राज्य लोक उपापन की वेब साईट . https://sppp.rajasthan.gov.in अथवा कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर की वेब साईट www.aujodhpur.ac.in पर पढ़ा जा सकता हैं |

प्रभारी अधिकारी

कृषि अनुसंधान उप केंद्र ,समदडी, (बाड़मेर)

(कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर)

समदडी , जिला – बाड़मेर , राजस्थान - 344 021

डॉ. सुरेन्द्र कुमार
प्रभारी अधिकारी

मो न - 9426109352
ई.मेल.- arsssamdari@gmail.com

क्रमांक. एफ ()/ फार्म स्टोर / कृ.अनु.उप.के./ समदडी/2023-24 / 106-115 दिनांक – 24/5/2023

खुली निविदा आमन्त्रण सुचना

कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर के कृषि अनुसंधान उप केंद्र समदडी के फार्म पर हिस्सा आधारित बीजोत्पादन फसलो की खेती हेतु निविदा वर्ष 2023-24 हेतु मुहरबंद निविदा (अनुमानित लागत 450000 /- अक्षरे चार लाख पचास हजार मात्र) आमंत्रित की जाती हैं | इच्छुक व्यक्ति उक्त कार्य के लिए निविदा प्रपत्र शुल्क रु. 500 /- (अक्षरे पांच सो मात्र) नगद जमा कर दिनांक 07.06.2023 वार बुधवार को सुबह 11.00 बजे तक कृषि अनुसंधान उप केंद्र समदडी के कार्यालय से निविदा प्रपत्र प्राप्त कर सकते हैं , पूर्ण रूप से भरी हुई निविदा मय धरोहर राशी रूपये 9000 /- (अक्षरे नो हजार रुपये मात्र) रोकड़ अथवा बैंक ड्राफ्ट जो **ऑफिसर इन्चार्ज एग्रीकल्चर रिसर्च सब स्टेशन समदडी (Officer In-Charge, Agriculture Research Sub Station, Samdari)** के नाम देय हो, दिनांक 07.06.2023 वार बुधवार को दोपहर 1.00 बजे तक जमा करवा सकते हैं निविदा उसी दिन को दोपहर 2.00 बजे खोली जाएगी निविदा प्रपत्र व शर्तो को कृषि विश्वविद्यालय, जोधपुर की वेब साईट www.aujodhpur.ac.in अथवा राजस्थान राज्य लोक सेवा उपापन की वेब साईट https://sppp.rajasthan.gov.in से डाउनलोड किया जा सकता हैं, निविदा को स्वीकृत / अस्वीकृत / स्थगित / निरस्त / संशोधन आदि करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरकर्ता का रहेगा |

प्रभारी अधिकारी

कृषि अनुसंधान उप केंद्र, समदडी
जिला - बाड़मेर (राज.) 344 021
(कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर)

हिस्साधारित बीजोत्पादन फसलो की खेती हेतु निविदा (वर्ष 2023-24)

निविदा प्रपत्र क्रम संख्या	वर्ष 2023 / संख्या -01
निविदा क्रम संख्या	क्रमांक ( ) प एफ/ फार्म स्टोर/ कृ अ उ के/ समदड़ी /2023-24/106-115, दिनांक - 24.05.2023
निविदा प्रपत्र शुल्क	500/- (पांच सौ) रुपये मात्र /- रशीद संख्या ...., दिनांक - ....
निविदा वर्ष	2023- 24 (खरीफ 2023- रबी 2023-24)
खेती की अनुमानित अवधि	खरीफ 2023- रबी 2023-24
अनुमानित लागत	रु. 450000/-
परिशिष्ट संख्या – एक	हिस्सा आधारित बीजोत्पादन फसलो की खेती हेतु निविदा प्रपत्र
परिशिष्ट संख्या – दो	हिस्सा आधारित बीजोत्पादन फसलो की खेती हेतु निविदा की आवश्यक शर्ते
निविदा प्रपत्र उपलब्ध होने की तिथि	दिनांक – 24.05.2023 से 07.06.2023 प्रात : 11 .00 बजे तक
निविदा जमा कराने की अंतिम तिथि	दिनांक – 07.06.2023, दोपहर 1.00 बजे तक
निविदा खोलने की तिथि	दिनांक – 07.06.2023., दोपहर 2.00 बजे
निविदा खोलने का स्थान	कार्यालय कृषि अनुसंधान उप केंद्र, समदडी, जिला बाड़मेर
पत्राचार हेतु पता	श्रीमान प्रभारी अधिकारी, कृषि अनुसंधान उप केंद्र, समदडी (कृषि विश्वविधालय, जोधपुर) जिला – बाड़मेर – 344 021

नोट – धरोहर राशी कार्यालय , कृषि अनुसन्धान उप केंद्र, समदडी, (बाड़मेर) में किसी भी कार्य दिवस में जमा कराई जा सकती हैं | धरोहर राशी दिनांक- 07.06.2023. दोपहर 1.00 बजे तक ही स्वीकार की जाएगी | धरोहर राशी रोकड़ या बैंक ड्राफ्ट द्वारा जो की "ऑफिसर इंचार्ज एग्रीकल्चरल रिसर्च सब स्टेशन, समदडी" (Officer Incharge, ARSS, Samdari) के नाम देय हो जमा कराई जा सकती हैं |

प्रभारी अधिकारी

सलग्न – निविदा प्रपत्र एवं आवश्यक शर्ते

कृषि अनुसंधान उप केंद्र, समदडी
जिला - बाड़मेर (राज.) 344 021
(कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर)

हिस्साधारित बीजोत्पादन फसलो की खेती हेतु निविदा (वर्ष 2023-24)

निविदा प्रपत्र क्रम संख्या	वर्ष 2023 / संख्या -01
निविदा क्रम संख्या	क्रमांक ( ) प.एफ/ फार्म स्टोर/ कृ.अ.उ.के/ समदड़ी /2023-24/106-115, दिनांक – 24.05.2023
निविदा प्रपत्र शुल्क	500/- (पांच सौ) रुपये मात्र /- रशीद संख्या ...., दिनांक - ....
निविदा वर्ष	2023- 24 (खरीफ 2023- रबी 2023-24)
खेती की अनुमानित अवधि	खरीफ 2023- रबी 2023-24
अनुमानित लागत	रु. 450000/-
परिशिष्ट संख्या – एक	हिस्सा आधारित बीजोत्पादन फसलो की खेती हेतु निविदा प्रपत्र
परिशिष्ट संख्या – दो	हिस्सा आधारित बीजोत्पादन फसलो की खेती हेतु निविदा की आवश्यक शर्ते
निविदा प्रपत्र उपलब्ध होने की तिथि	दिनांक – 24.05.2023 से 07.06.2023 प्रात : 11 .00 बजे तक
निविदा जमा कराने की अंतिम तिथि	दिनांक – 07.06.2023, दोपहर 1.00 बजे तक
निविदा खोलने की तिथि	दिनांक – 07.06.2023., दोपहर 2.00 बजे
निविदा खोलने का स्थान	कार्यालय कृषि अनुसंधान उप केंद्र, समदडी, जिला बाड़मेर
पत्राचार हेतु पता	श्रीमान प्रभारी अधिकारी, कृषि अनुसंधान उप केंद्र, समदडी (कृषि विश्वविधालय, जोधपुर) जिला – बाड़मेर – 344 021

नोट – धरोहर राशी कार्यालय , कृषि अनुसन्धान उप केंद्र, समदडी, (बाड़मेर) में किसी भी कार्य दिवस में जमा कराई जा सकती हैं | धरोहर राशी दिनांक- 07.06.2023. दोपहर 1.00 बजे तक ही स्वीकार की जाएगी | धरोहर राशी रोकड़ या बैंक ड्राफ्ट द्वारा जो की "ऑफिसर इंचार्ज एग्रीकल्चरल रिसर्च सब स्टेशन, समदडी" (Officer Incharge, ARSS, Samdari) के नाम देय हो जमा कराई जा सकती हैं |

प्रभारी अधिकारी

सलग्न – निविदा प्रपत्र एवं आवश्यक शर्ते

परिशिष्ट संख्या – 01

हिस्सा आधारित बीजोत्पादन फसलों की खेती हेतु निविदा प्रपत्र (वर्ष 2023-24)

(निविदा शर्तो का ध्यान पूर्वक अध्ययन करने के बाद ही निवदा प्रस्तुत करे)

निवदा क्रम संख्या	क्रमांक ( ) प.एफ/ फार्म स्टोर / कृ.अ.उ.के. / समदड़ी / 2023-24/ दिनांक –
निविदा का नाम	हिस्सा आधारित प्रणाली पर वर्ष 2023-24 में बीजोत्पादन फसलों की खेती
खेती की अनुमानित अवधि	खरीफ 2023- रबी 2023-24
निविदादाता का नाम व पूरा पता	.... आधार नम्बर.. दुरभाष नम्बर ....
धरोहर राशी का विवरण	रुपये 9000 /- (अक्षरे नो हजार रूपये मात्र/-) रोकड़ / बैंक ड्राफ्ट रशीद स.............................दिनांक .... बैंक ड्राफ्ट सं.............................दिनांक .... बैंक का नाम ....शाखा ....

कृषि अनुसंधान उप केंद्र, समदडी बाड़मेर के फार्म पर वर्ष 2023-24 में हिस्सा आधारित बीजोत्पादन फसलो की पैदावार में दाना / बीज उपज में निविदादाता / ठेकेदार एवं कृषि अनुसंधान उप केंद्र समदडी की हिस्सेदारी :-

क. स.	वर्ष / मौसम	निविदादाता / ठेकेदार का हिस्सा (प्रतिशत में)	कृषि अनुसंधान उप केंद्र, समदडी (बाड़मेर) कार्यालय का हिस्सा (प्रतिशत में)	निविदादाता / ठेकेदार के हिस्से का उत्पादन कृषि अनुसंधान उप केंद्र समदडी बाड़मेर द्वारा क्रय करने पर ओसत दर से देय अतिरिक्त राशी (अधिकतम 10 प्रतिशत तक)
1.	खरीफ 2023	अंको में .... शब्दों में........	अंको में .... शब्दों में........	अंको में .... शब्दों में........
2.	रबी 2023-24	अंको में .... शब्दों में........	अंको में .... शब्दों में........	अंको में .... शब्दों में........

हस्ताक्षर निविदादाता / ठेकेदार

निविदादाता का नाम ....

पता ....

मोबाइल न............................

परिशिष्ट–2

हिस्सा आधारित बीजोत्पादन फसलों की खेती हेतु निविदा की आवश्यक शर्तें

(निविदा शर्तों का ध्यानपूर्वक अध्ययन करने के पश्चात् ही निविदा प्रस्तुत करें)

1. निविदा सीलबन्द लिफाफे में प्रभारी अधिकारी कृषि अनुसंधान समदडी (बाड़मेर), कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर के नाम देय हों तथा निविदा लिफाफे पर **"हिस्सा आधारित बीजोत्पादन फसलों की खेती हेतु निविदा दिनांक** - 07.06.2023 **दोपहर 1.00 बजे तक देय"** तथा निविदादाता का पता लिखा होना चाहिये।
2. निविदा बॉलप्वाईंट नीली स्याही से हाथ से लिखी होनी चाहिये एवं हिस्सा (प्रतिशत में) अंकों व शब्दों में स्पष्ट लिखा होना चाहिये तथा किसी प्रकार की कांट छांट अथवा ऊपर ठीक किया हुआ कोई अक्षर स्वीकृत नहीं होगा।
3. निविदा प्रपत्र के प्रत्येक पेज पर निविदादाता के हस्ताक्षर होने चाहिये।
4. निविदा दरें वर्ष 2023-24 के लिए अनुमोदन के बाद एक वर्ष की अवधि के लिए मान्य होगी जिसमें खरीफ–2023 व रबी 2023-24 मौसमों के लिए अनुमोदित की गई दरें उक्त मौसमों की समय अवधि लिए ही मान्य होगी। परन्तु विशेष परिस्थितियों में नियमानुसार इसे आगे बढ़ाया जा सकता हैं।
5. निविदा के साथ 9000/– रूपये की धरोहर राशि रोकड़ अथवा बैंक ड्राफ्ट, जो कि ऑफिसर इंचार्ज, एग्रिकल्चरल रिसर्च सब स्टेशन, समदड़ी (Officer Incharge, ARSS, Samdari) के नाम देय हों, प्रस्तुत करें। धरोहर राशि के बिना एवं निर्धारित दिनांक एवं समय के पश्चात् प्राप्त निविदा पर कोई विचार नहीं किया जायेगा। चैक के रूप में धरोहर राशि स्वीकार नहीं की जायेगी।
6. ट्रेक्टर सम्बन्धी कार्य यथा डिस्क प्लाउ व कल्टीवेटर द्वारा भूमि तैयारी का कार्य व बुवाई आदि हेतु आवश्यक मशीनरी की व्यवस्था केन्द्र द्वारा की जायेगी अर्थात् इनसे संबंधी डीजल खर्च, वाहन चालक व्यवस्था में निविदादाता का कोई योगदान नहीं होगा। परन्तु इस कार्य में समस्त प्रकार के श्रमिक अवयव ठेकेदार के होंगे।
7. बुवाई हेतु बीज एवं खाद की आपूर्ति केन्द्र द्वारा की जायेगी। खेत की सफाई, जुताई, सीड ड्रिल द्वारा बुवाई, खरपतवार निकालना, सफाई व पैकिंग आदि का कार्य ठेकेदार स्वंय ही करायेगा अर्थात बुवाई से लेकर फसल काटने, फसल की चौकीदारी करने व उत्पादन निकालने तक का श्रमिक अवयव व इसके बाद उत्पादन की सफाई करके उसे बोरों में भरकर पैकिंग कर गोदाम में तौलने तक की प्रक्रिया में लगने वाला समस्त श्रमिक अवयव निविदादाता का ही होगा।
8. फसल वृद्धि के दौरान रोग व कीट प्रकोप की स्थिति में फफूंदनाशक, कीटनाशक व अन्य छिड़काव आदि की आपूर्ति भी केन्द्र ही करेगा, परंतु श्रमिक अवयव निविदादाता के ही होंगे।
9. बीज उत्पादन हेतु विभिन्न प्रकार की शस्य क्रियाऐं जैसे निराई–गुड़ाई (कम से कम दो बार) एवं रोगिंग (अवांछित पौधों को निकालना) प्रभारी अधिकारी/फार्म

प्रभारी/फार्म मैनेजर के निर्देशानुसार करनी होगी तथा सभी श्रमिक अवयव निविदादाता को वहन करना होगा।

10. निराई–गुड़ाई व अन्य कृषि से सम्बन्धित कार्य मौसम की स्थिति को देखते हुए करने होंगे। प्रतिकूल मौसम होने पर उक्त कार्य रोके जाने का अधिकार प्रभारी अधिकारी/फार्म प्रभारी/फार्म मैनेजर को होगा।
11. किसी भी विवाद का निपटारा करने हेतु प्रभारी अधिकारी, कृषि अनुसंधान उप केन्द्र, समदड़ी / क्षेत्रीय निदेशक अनुसंधान कृषि अनुसंधान केंद्र, मंडोर (जोधपुर) का निर्णय अन्तिम रूप से मान्य होगा तथा ठेकेदार इसके लिये बाध्य होगा।
12. फसलों की रखवाली करने की, समय पर निराई–गुड़ाई व जैविक दवाओं का छिड़काव/भुरकाव तथा समय पर कटाई की पूर्ण जिम्मेदारी निविदादाता की होगी। इसमें शिथिलता बरतने व नुकसान होने पर समिति द्वारा आंकलन किया जायेगा, जिसे निविदादाता के भुगतान में से काट लिया जायेगा।
13. ठेकेदार के श्रमिकों द्वारा यदि फार्म की सम्पत्ति को किसी भी प्रकार की क्षति अथवा किसी प्रकार का कोई अन्य नुकसान पहुंचाया गया तो उसका हर्जाना ठेकेदार को भरना होगा अन्यथा नुकसान का हर्जाना अदा नहीं करने पर धरोहर राशि में से काट लिया जायेगा।
14. धरोहर राशि पर कोई ब्याज देय नहीं होगा एवं ठेका समाप्ति पर राशि लौटा दी जायेगी ।
15. फसल के दौरान निविदादाता स्वंय के पशु वगैरहा फार्म पर नहीं लायेगा तथा ना ही यहां से हरा चारा आदि ले जाने दिया जायेगा।
16. कृषि अनुसंधान उप केन्द्र, समदड़ी, बाड़मेर के फार्म पर उपलब्ध घास, लूंग, पातड़ी व पेड़ इत्यादि पर ठेकेदार का कोई अधिकार नहीं होगा।
17. निविदादाता (ठेकेदार) उक्त केन्द्र की भूमि पर किसी प्रकार के स्वामित्व का दावा नही करेगा तथा किसी अन्य व्यक्ति को काश्त हेतु आगे से आगे नहीं देगा अन्यथा उसका ठेका रद्द कर दिया जायेगा।
18. निविदादाता को केन्द्र के मुख्य द्वार से ही आना–जाना करना होगा। किसी भी अवांछित व्यक्ति को फार्म पर आने की इजाजत नहीं होगी।
19. हिस्सा आधारित बीजोत्पादन खेती की बुवाई के क्षेत्रफल को बढ़ाने या कम करने का तथा फसलों के चयन का अधिकार प्रभारी अधिकारी, कृषि अनुसंधान उप केन्द्र, समदड़ी / क्षेत्रीय निदेशक अनुसंधान, कृषि अनुसन्धान केंद्र मंडोर तथा निदेशक अनुसन्धान कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर को होगा।
20. कृषि अनुसंधान उप केन्द्र, समदड़ी, बाड़मेर के फार्म पर फसलोत्पादन वर्षा आधारित होता है, एवम् रबी की फसल के लिए सिमित मात्रा में पानी सोलर पंप से उपलब्ध हैं।
21. केन्द्र के फार्म पर निविदादाता को प्रभारी अधिकारी/फार्म प्रभारी/फार्म मैनेजर द्वारा बताई गई फसलों की ही बुवाई करनी होगी, इसके अलावा कोई भी फसलों की बुवाई निविदादाता द्वारा नहीं की जा सकेगी।

22. फार्म कार्य हेतु आवश्यक मशीनरी जैसे फावड़ा, कुदाली, गेती, खुरपी, दांतली आदि ठेकेदार को स्वंय लाने होंगे।

23. निविदादाता को खरीफ–2023 व रबी 2023-24 मौसमों में बीजोत्पादन फसलों की खेती से प्राप्त उपज उक्त मौसमों की समय अवधि में समय पर जमा करानी होगी।

24. फार्म पर उत्पादित बीज में से ठेकेदार के हिस्से को खरीदने का पहला हक अनुसंधान केन्द्र का होगा। यदि निविदादाता के हिस्से का उत्पादन इस केन्द्र द्वारा क्रय किया जाता है तो केन्द्र उसे उपज जमा कराने के तुरंत पश्चात् जोधपुर / सुमेरपुर (पाली) / मेड़ता (नागौर) में से किसी एक कृषि उपज मंडी के एक सप्ताह के औसत भाव से अतिरिक्त राशि (प्रतिशत में) जो कि निविदा स्वीकृति में देय है, की दर से भुगतान करेगा। अन्यथा ठेकेदार अपना हिस्सा स्वयं ले जाने व बेचने को स्वतंत्र होगा।

25. बीज उत्पादन प्रक्रिया में फसल के चारे पर हक ठेकेदार का होगा, केंद्र उसमे से कोई हिस्सा नही लेगा।

26. धरोहर राशि कार्य पूरा हो जाने के बाद लौटा दी जायेगी। सफल निविदादाता के अलावा सभी को धरोहर राशि निविदा अनुमोदन के बाद प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर 7 दिन में लौटा दी जायेगी। धरोहर राशि पर कोई ब्याज देय नहीं होगा।

27. किसी भी विवाद का निपटारा करने हेतु क्षेत्रीय निदेषक अनुसंधान, कृषि अनुसंधान केन्द, मण्डोर, जोधपुर का निर्णय अंतिम रूप से मान्य होगा और ठेकेदार पालना के लिये बाध्य होगा। विशेष परिस्थितियों में विवाद को माननीय कुलपति महोदय, कृषि विश्वविद्यालय, जोधपुर के ऑविष्ट्रेशन में प्रस्तुत करना होगा और उनका निर्णय ठेकेदार को मान्य होगा।

28. किसी भी निविदा को बिना कारण बतायें निरस्त करने का अधिकार प्रभारी अधिकारी, कृषि अनुसंधान उप केन्द्र, समदड़ी के पास सुरक्षित रहेगा एवं प्रभारी अधिकारी के निर्णय सर्वमान्य होंगे।

मुझे निविदा की समस्त शर्तें मंजूर हैं तथा मैं उपरोक्त वर्णित शर्तों पर उक्त खेती करने के लिये सहमत हूँ।

निविदादाता / ठेकेदार के हस्ताक्षर

दिनांक...

कृषि अनुसंधान उप केंद्र ,समदडी, (बाड़मेर)
(कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर)
समदडी , जिला – बाड़मेर , राजस्थान - 344 021

डॉ. सुरेन्द्र कुमार
प्रभारी अधिकारी

मो न - 9426109352
ई.मेल.- arsssamdari@gmail.com

क्रमांक. एफ () / फार्म स्टोर / कृअउके./ समदडी/2023-24 / 116-124 दिनांक – 24/5/2023

खुली निविदा आमन्त्रण सुचना

कृषि विश्वविधालय,जोधपुर के कृषि अनुसंधान उप केंद्र समदडी बाड़मेर के फार्म पर खरीफ एवं रबी 2023-24 की फसलों में विभिन्न कृषि व अन्य कार्यो हेतु अनुबंध पर श्रमिक उपलब्ध करवाने हेतु मुहरबंद निविदा (अनुमानित लागत 500000 /- अक्षरे पांच लाख मात्र आमंत्रित की जाती हैं। इच्छुक व्यक्ति उक्त कार्य के लिए निविदा प्रपत्र शुल्क रु. 500 /- (अक्षरे पांच सौ मात्र) नगद जमा कर दिनांक 07.06.2023 वार बुधवार को सुबह 11.00 बजे तक कृषि अनुसंधान उप केंद्र समदडी के कार्यालय से निविदा प्रपत्र प्राप्त कर सकते हैं , पूर्ण रूप से भरी हुई निविदा मय धरोहर राशि रूपये 10000 /- (अक्षरे दस हजार रुपये मात्र) रोकड़ अथवा बैंक ड्राफ्ट जो ऑफिसर इंचार्ज एग्रीकल्चर रिसर्च सब स्टेशन, समदडी (Officer In-Charge, Agriculture Research Sub Station, Samdari) के नाम देय हो, दिनांक 07.06.2023 वार बुधवार को दोपहर 1.00 बजे तक जमा करवा सकते हैं निविदा उसी दिन को दोपहर 2.00 बजे बाद खोली जाएगी। निविदा प्रपत्र व शर्तो को कृषि विश्वविद्यालय, जोधपुर की वेब साईट www.aujodhpur.ac.in अथवा राजस्थान राज्य लोक सेवा उपापन की वेब साईट https://sppp.rajasthan.gov.in से डाउनलोड किया जा सकता हैं, निविदा को स्वीकृत / अस्वीकृत / स्थगित / संशोधन/निरस्त आदि करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरकर्ता का रहेगा।

प्रभारी अधिकारी

कृषि अनुसंधान उप केंद्र, समदडी

जिला - बाड़मेर (राज.) 344 021

(कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर)

कृषि व अन्य कार्यो के लिए अनुबन्ध पर श्रमिक उपलब्ध कराने हेतु निविदा

(वर्ष 2023-24)

निविदा प्रपत्र क्रम संख्या	वर्ष 2023 / संख्या – 02
निविदा क्रम संख्या	क्रमांक प.( ) /फार्म स्टोर/ कृ.अ.उ.के./समदडी/2023-24/116-124 , दिनांक – 24.05.2023
निविदा प्रपत्र शुल्क	500 / –रूपये, रसीद संख्याः–––––दिनांक : –––––
निविदा वर्ष	2023-24
श्रमिक उपलब्ध कराने की अनुमानित अवधि	जुलाई 2023 से जून 2024 तक
अनुमानित लागत	रू 500000 / –
निविदा प्रपत्र उपलब्ध होने की तिथि	दिनांक 24.05.2023 से 07.06.2023 प्रात : 11 .00 बजे तक
निविदा जमा कराने की अंतिम तिथि	दिनांक 07.06.2023, दोपहर 1.00 बजे तक
निविदा खोलने की तिथि	दिनांक 07.06.2023., दोपहर 2.00 बजे बाद
निविदा खोलने का स्थान	कार्यालय, कृषि अनुसंधान उप केन्द्र, समदडी , बाड़मेर
पत्राचार हेतु पता	प्रभारी अधिकारी, कृषि अनुसंधान उप केन्द्र, समदडी , बाड़मेर (कृषि विश्वविद्यालय, जोधपुर) (राज.) पिन कोड़– 344 021

नोटः– धरोहर राशि कार्यालय, कृषि अनुसंधान उप केन्द्र, समदडी, बाड़मेर में किसी भी कार्य दिवस में जमा करायी जा सकती है। धरोहर राशि दिनांक 07.06.2023, दोपहर 1.00 तक ही स्वीकार की जायेगी। धरोहर राशि) रोकड़ अथवा बैंक ड्राफ्ट द्वारा जो कि **"ऑफिसर इंचार्ज, एग्रीकल्चरल रिसर्च सब स्टेशन, समदडी" (Officer In charge, ARSS, Samdari)** के नाम देय हों, जमा करायी जा सकती हैं।

प्रभारी अधिकारी

कृषि अनुसंधान उप केंद्र, समदडी

जिला - बाड़मेर (राज.) 344 021

(कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर)

कृषि व अन्य कार्यो के लिए अनुबन्ध पर श्रमिक उपलब्ध कराने हेतु निविदा

(वर्ष 2023-24)

निविदा प्रपत्र क्रम संख्या	वर्ष 2023 / संख्या – 02
निविदा क्रम संख्या	क्रमांक प.( ) /फार्म स्टोर/ कृ.अ.उ.के./समदडी/2023-24/116-124 , दिनांक – 24.05.2023
निविदा प्रपत्र शुल्क	500 / –रूपये, रसीद संख्याः——————दिनांक : ————
निविदा वर्ष	2023-24
श्रमिक उपलब्ध कराने की अनुमानित अवधि	जुलाई 2023 से जून 2024 तक
अनुमानित लागत	रू 500000 / –
निविदा प्रपत्र उपलब्ध होने की तिथि	दिनांक 24.05.2023 से 07.06.2023 प्रात : 11 .00 बजे तक
निविदा जमा कराने की अंतिम तिथि	दिनांक 07.06.2023, दोपहर 1.00 बजे तक
निविदा खोलने की तिथि	दिनांक 07.06.2023., दोपहर 2.00 बजे बाद
निविदा खोलने का स्थान	कार्यालय, कृषि अनुसंधान उप केन्द्र, समदडी , बाड़मेर
पत्राचार हेतु पता	प्रभारी अधिकारी, कृषि अनुसंधान उप केन्द्र, समदडी , बाड़मेर (कृषि विश्वविद्यालय, जोधपुर) (राज.) पिन कोड़– 344 021

नोटः– धरोहर राशि कार्यालय, कृषि अनुसंधान उप केन्द्र, समदडी, बाड़मेर में किसी भी कार्य दिवस में जमा करायी जा सकती है। धरोहर राशि दिनांक 07.06.2023. दोपहर 1.00 तक ही स्वीकार की जायेगी। धरोहर राशि) रोकड़ अथवा बैंक ड्राफ्ट द्वारा जो कि **"ऑफिसर इंचार्ज, एग्रीकल्चरल रिसर्च सब स्टेशन, समदडी"** **(Officer In charge, ARSS, Samdari)** के नाम देय हों, जमा करायी जा सकती हैं।

प्रभारी अधिकारी

2

कृषि अनुसंधान उप केन्द्र, समदडी (बाड़मेर)

कृषि विश्वविद्यालय, जोधपुर

निविदा प्रपत्र

(कृषि व अन्य कार्यों के लिए **अनुबन्ध पर** श्रमिक उपलब्ध कराने हेतु)

निविदा प्रपत्र शुल्क रू 500/–(अक्षरे रू. पाँच सौ मात्र) रसीद संख्या .... दिनांक ....निविदा सूचना क्रमांक प. फार्म स्टोर/कृअउके/समदडी/2023-24/.........,दिनांक - 24.05.2023 के तहत कृषि अनुसंधान उप केन्द्र, समदडी (कृषि विश्वविद्यालय, जोधपुर) पर कृषि व अन्य कार्यो के लिए श्रमिक उपलब्ध कराने का निविदा प्रपत्र धरोहर राशि रू 10000/– (अक्षरे रूपये दस हजार मात्र)) रोकड़ अथवा बैंक ड्राफ्ट संख्या .... दिनांक ....

निविदादाता का नाम व पूरा पता ....

....

दूरभाष नंबर यदि हो:............................... मो. नंबर ....

क्र. सं	कृषि एवं अन्य कार्यों का विवरण	कार्मिक को देय राशि (सरकारी दर को आधार मानते हुए भरें)*	ई. पी.एफ.	ई. एस. आई.	सर्विस चार्ज	कुल निविदा दर (2+3+4+5)
	1	2	3	4	5	
1.	**अकुशल श्रमिकः** फसलों की बुवाई, सिंचाई, दवाई छिड़काव, निराई–गुड़ाई, रोगिंग, फसलों का पक्षियों व जानवरों से बचाव, कटाई एवं कटी हुई फसल इकट्ठा करने, गहाई, औसाई, बीज साफ कर पेकिंग व तौल कर स्टोर में जमा कराने का कार्य, फार्म स्टोर की साफ–सफाई एवं दवाई धुमीकरण का कार्य, फार्म पर सफाई, पेड़ों की कटाई–छंटाई, फार्म की सीमा पर फेन्सींग की रिपयेरिंग, कार्यालय के आस–पास सफाई का कार्य।					दर रु.................प्रति दिन 8 घंटे कार्य
2.	**अर्द्धकुशल श्रमिकः** - रात्रि के समय प्रायोगिक एवं बिजीय फसलो, नलकूप, सोलर पम्प, कार्यालय भवनो तथा फार्म की रखवाली का कार्य (समय सायं 5.00 बजे से सुबह 8.00 बजे तक)					प्रति व्यक्ति / प्रति माह रु.............................
3.	**अकुशल श्रमिकः** कार्यालय शौचालय की सफाई का कार्य।					दर रु.............. प्रति घंटे कार्य
4.	**अर्द्धकुशल श्रमिक** : - बिजली व नल से सम्बंधित कार्य करवाने हेतु					दर प्रति घंटे कार्य रु..................
5.	कुशल श्रमिकः ट्रेक्टर चालक					दर रु................ प्रति घंटे कार्य से

*श्रम विभाग द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी

किसी भी प्रकार का कर (पी.एफ.ई.एस.आई.या अन्य कर या श्रमिक लाभ) निविदादाता द्वारा दी गयी दर में सम्मलित रहेगा |

हस्ताक्षर निविदादाता ठेकेदार

कृषि अनुसंधान उप केन्द्र, समदडी , बाड़मेर
कृषि विश्वविद्यालय, जोधपुर

सूचना क्रमांक प. फार्म स्टोर/कृअके/ समदडी /2023-24/ दिनांक 24.05.2023

कृषि व अन्य कार्यों के लिए अनुबन्ध पर श्रमिक उपलब्ध कराने हेतु निविदा की शर्ते

1. मुहरबन्द निविदा प्रभारी अधिकारी, कृषि अनुसंधान उप केन्द्र, समदडी , बाड़मेर के नाम से देय होनी चाहिए।
2. निविदा मुहरबन्द लिफाफे में भौतिक रूप में भी जमा करवानी है जिसके लिफाफे पर कृषि व अन्य कार्यो के लिए **अनुबन्ध पर** श्रमिक उपलब्ध कराने हेतु निविदा तथा दिनांक 07.06.2023 लिखा होना चाहिए।
3. प्रत्येक कार्य की निविदा दर स्पष्ट रूप से अंको व शब्दो में लिखी होनी चाहिए।
4. सशर्त निविदा स्वीकार नहीं की जाएगी।
5. निविदादाता निविदा शर्तों का अध्ययन करने के पश्चात् ही प्रस्तुत करें तथा प्रत्येक पृष्ठ पर निविदादाता के हस्ताक्षर होने चाहिए।
6. निविदा दरें निविदा अनुमोदन के पश्चात 12 महीने के लिये मान्य होगी । आपसी सहमति से यह समयावधि बढाई जा सकती है।
7. निविदा के साथ रू 10000/– (अक्षरे रूपये दस हजार मात्र) धरोहर राशि रोकड़ अथवा बैंक डिमाण्ड ड्राफ्ट के साथ जो कि **ऑफिसर इंचार्ज, एग्रीकल्चरल रिसर्च सब स्टेशन, समदडी** बाड़मेर **(Officer In charge, ARSS, Samdari)** के नाम देय हो व निविदा प्रपत्र शुल्क रू 500/– (अक्षरे रू पाँच सौ मात्र) नगद जमा कर प्रस्तुत करें। बिना धरोहर राशि के निविदा स्वीकार नही की जायेगी तथा धरोहर राशि के रूप में चेक स्वीकार नही किया जायेगा।
8. निविदा दिनांक – 07.06.2023 को 2.00 बजे बाद खोली जायेगी । यदि किसी कारणवश उस दिन का अवकाश रहता है तो अगले दिन उसी समय व उसी स्थान पर निविदा खोली जायेगी।
9. किसी भी निविदा को स्वीकृत/अस्वीकृत/स्थगित/निरस्त आदि करने का अधिकार प्रभारी अधिकारी के पास सुरक्षित रहेगा एवं प्रभारी अधिकारी के निर्णय सर्वमान्य होंगे।
10. ठेकेदार के अधीन श्रमिको को राज्य सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी का भुगतान करना होगा। ठेकेदार इसके लिए बाध्य होगा।
11. किसी भी नाबालिग या सजायाफता व्यक्ति को कार्य पर नही लगाया जायेगा।
12. कार्य, प्रभारी अधिकारी/फार्म प्रभारी/फार्म प्रबंधक/कृषि पर्यवेक्षक की निगरानी में उनके निर्देश के अनुसार पूरा करना होगा ।
13. कृषि कार्यो के लिए जरूरी जैसे फावड़ा, कुदाली, गेती, खुरपी, दंताली, **कस्सी** आदि स्वयं के लाने होंगे तथा अन्य मशीनरी जैसे ट्रैक्टर, ट्रोली, सीड़ ड्रिल, थ्रेसर, स्प्रे मशीन व सिंचाई के साधन आदि कार्यालय द्वारा उपलब्ध कराये जाएंगे। फार्म पर कार्य करवाने के लिये श्रमिकों को लाने एवं ले जाने के लिये कोई भी साधन अनुसंधान केन्द्र के द्वारा उपलब्ध नही करवाया जायेगा।
14. ठेकेदार द्वारा नियोजित श्रमिको के ई.एस.आई. व भविष्य निधि आदि व अन्य कर, श्रमिक दुर्घटना व श्रमिक कल्याण का उत्तरदायित्व ठेकेदार का होगा। ई.एस.आई. व भविष्य निधि आदि व अन्य कर का रिकार्ड यदि आवश्यक हो तो श्रम निरीक्षक द्वारा चाहे गये अनुसार समय समय पर जॉच हेतु प्रस्तुत करना होगा इस सन्दर्भ में इस केन्द्र का कोई उत्तरदायित्व नही होगा।
15. कार्य की प्रकृति एवं मांग के अनुसार श्रमिक उपलब्ध करवाने होंगे। ठेकेदार को समय–समय पर अग्रिम रूप से सूचित किया जाता रहेगा। ठेकेदार को उसी अनुसार निर्धारित समय पर कार्य करवाना होगा अन्यथा कार्य सम्पादन मे किसी भी प्रकार के विलम्ब को अनुसंधान उप केन्द्र का नुकसान माना जायेगा जो कि धरोहर राशि के बराबर अथवा कमेटी जो निर्धारित करेगी, उसी के अनुसार नुकसान कि भरपाई ठेकेदार को करनी होगी।

16. संविदा पर करवाने जाने वाले कार्यो के लिये निर्धारित मापदंडो के अनुसार कार्य न होने पर उस कार्य को सुधार कर पूरा करवाने कि जिम्मेदारी ठेकेदार कि होगी, जिसको निविदादाता द्वारा स्वयं के खर्चे से व्यवस्थित रूप से पूरा करवाना होगा। यदि ठेकेदार ऐसा करने में असमर्थ रहा तो उस कार्य को अनुसंधान केन्द्र द्वारा ठेकेदार के जोखिम पर करवाया जायेगा।

17. ठेकेदार के श्रमिको द्वारा यदि फार्म कि फसलों अथवा संपति को किसी भी प्रकार का नुकसान पहुंचाया गया तो उसका हर्जाना ठेकेदार को भुगतना पड़ेगा अथवा नुकसान का हर्जाना अदा नही करने पर धरोहर राशि अथवा देय भुगतान में से काट लिया जायेगा।

18. भुगतान केवल पूरा करवाये गये कार्य कि मात्रा के अनुसार ही किया जायेगा तथा ठेकेदार को अग्रिम तौर पर धन, सामान अथवा किसी प्रकार कि सेवा प्रदान नहीं की जायेगी। भुगतान हेतु बिल पूर्ण हुए कार्य की मात्रा के अनुसार माह में केवल एक बार ही स्वीकार किया जाएगा। ठेकेदार को देय भुगतान में व्यवसाय कर आयकर आदि काट कर ही भुगतान किया जाएगा।

19. सफल निविदादाता के अतिरिक्त सभी कि धरोहर राशि निविदा अनुमोदन के पश्चात् सात दिन के अन्दर–अन्दर लौटा दी जायेगी। धरोहर राशि पर कोई ब्याज देय नही होगा।

20. सफल निविदादाता यदि ठेका बीच में छोड़ देता है तो उसकी धरोहर राशि व करवाये गये कार्य बकाया भुगतान जब्त करके ब्लेक–लिस्टेड घोषित कर दिया जायेगा।

21. कार्यालय द्वारा स्वीकृति दरों के अतिरिक्त किसी प्रकार का भुगतान नही किया जावेगा तथा स्रोत पर आयकर, सेवाकर या सरकारी देनदारी, अन्य कर देय हो तो नियमानुसार कटोती निविदादाता से की जायेगी।

22. ठेकेदार श्रमिकों को राज्य सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम दर से कम भुगतान नहीं करेगा एवं भुगतान फार्म मैनेजर / कृषि पर्यवेक्षक की उपस्थिति में व समय पर करेगा।

23. अनुबंधकर्ता को नॉन–ज्यूडिसियल स्टाम्प रूपये 500 या हाल ही घोषित सरकारी दर पर इकरारनामा (अनुबन्ध) प्रेषित करना होगा एवं साथ ही अनुबन्धित वार्षिक राशि कि 5 प्रतिशत राशि प्रतिभूति (Security) के रूप में निर्धारित अवधि में जमा करवानी होगी।

24. अनुबन्ध पर रखे श्रमिक निर्धारित समय पर ड्यूटी पर उपस्थित होंगे एवं कार्य संतोषजनक नही होने पर स्वीकृति अनुबन्ध निरस्त कर नई निविदा आमंत्रित कर ली जावेगी। स्वीकृति दर से अधिक दर पर भुगतान करने पर अनुमोदित अनुबन्धकर्ता से अधिक भुगतान कि गई राशि वसूल की जाएगी।

25. अशिष्ट व्यवहार करने व कार्य संतोषजनक नही होने पर श्रमिक को हटा दिया जायेगा। श्रमिकों के संदर्भ में यदि किसी प्रकार का कोई दायित्व उत्पन्न होता है तो उसके लिये संबन्धित निविदादाता ही व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी रहेगा तथा अनुसंधान केन्द्र किसी भी रूप से उत्तरदायी नही होगा तथा इस सम्बन्ध में अनुसंधान केन्द्र के विरुद्ध की गई सभी कार्यवाही या कानूनी कार्यवाही प्रभाव शून्य होगी।

26. **अनुबन्ध अवधि में किसी श्रमिक की दुर्घटना से मृत्यु या अन्य दुर्घटना घटित होने पर उससे उत्पन्न किसी प्रकार के विवाद की पूर्ण जिम्मेदारी अनुबन्धकर्ता (ठेकेदार) की होगी। ऐसी स्थिति में अनुसंधान उप केन्द्र की किसी प्रकार की जिम्मेदारी नहीं होगी और न ही किसी प्रकार की क्षतिपूर्ति राशि का भुगतान किया जायेगा और न ही इस सम्बन्ध में अनुसंधान उप केन्द्र प्रशासन से क्षतिपूर्ति की मांग की जावेगी ।**

27. अनुबन्ध अवधि के दौरान लगाये जाने वाले श्रमिकों के संदर्भ में श्रम कानूनों एवं प्रावधानों की पूर्ण पालना हेतु निविदादाता (ठेकेदार) उत्तरदायी रहेगा।

28. राजस्थान Transparency in public procurement rule 2013 के प्रावधान प्रभावी रहेंगे ।

29. किसी भी विवाद का निपटारा करने हेतु अनुसंधान केंद्र का निर्णय अंतिम रूप से मान्य होगा एवं ठेकेदार उसके लिए बाध्य होगा। विशेष परिस्थितियो में विवाद को माननीय कुलपति महोदय, कृषि विश्वविद्यालय, जोधपुर के आर्बिट्रेशन में प्रस्तुत करना होगा और उनका निर्णय ठेकेदार को मान्य होगा।

30. यदि ठेकेदार के श्रमिक द्वारा विश्वविद्यालय सेवामें स्थायी नियुक्ति के लिए न्यायालय में वाद प्रस्तुत किया जाता है, तो ठेकेदार इसके लिये पुर्ण रुप से उत्तरदायी होगा।

31. निविदादाता / फर्म / ऐजेंसी के पास श्रम विभाग में पंजीयन होना चाहिए तथा उसके पास आयकर विभाग द्वारा निर्गत वैध पैन नं (PAN No.) / सेवाकर नम्बर/GST इत्यादि व राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 एवं नियम, 2013 के अन्तर्गत मानव संसाधन की सेवाओं के उपापनों के सम्बंध में दिशा निर्देशित प्रमाण पत्र जो ऐसे निविदादाता के लिए आवश्यक हो, होने चाहिए ।

32. किसी भी शर्त की पालना ना होने पर निविदा किसी भी समय रदद् की जा सकती है तथा धरोहर राशि जब्त कर जुर्माना लगाया जा सकता है।

मुझें निविदा की समस्त शर्ते मंजूर हैं तथा मैं उपरोक्त शर्तो पर कार्य करवाने के लिये सहमत हूँ

निविदादाता / कोन्ट्रेक्टर के हस्ताक्षर

दिनांक :